न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 07/2014

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1 मृतक दीपाराम पुत्र लच्छाराम रबाडी निवासी करणवा के का0मु0 पूनाराम पुत्र दीपाराम रबाडी करणवा तहसील देसूरी		1 ग्राम पंचायत कोटडी जरिये सरपंच 2 मृतक पुखराज पुत्र भगा सुथार के का0मु0 2/1 प्रकाश 2/2 रमेश पि0 पुखराज 2/3 मोहनी उर्फ सुआ बेवा पुखराज कौम सुथार निवासी करणवा तहसील देसूरी

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

1. श्री पीथाराम परिहार, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री चन्द्रप्रकाश सिंघानिया, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण

–: निर्णय :–

दिनांक 23.10.2017

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा मिसल संख्या 67/1971–1972 में पारित प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 10.09.1971 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी पट्टा संख्या 37 दिनांक 18.04.1972 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत कोटडी के क्षेत्राधिकार में गांव करणवा की आबादी भूमि में प्रार्थी के पिता दीपा पुत्र लच्छा के नाम का बाडा आया हुआ है। उक्त बाडे का पट्टा बनाने हेतु प्रार्थी के पिता ने ग्राम पंचायत कोटडी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, उस समय अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम पंचायत कोटडी में ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के पद पर कार्यरत था। जिस दिन प्रार्थी के पिता ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, उसी दिन अप्रार्थी संख्या 2 ने भी सरपंच को सम्बोधित एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आपसी बातचीत से भूखण्ड की मांग की। इस पर उसी के नाम से मिसल व कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई तथा उसी दिन प्रार्थी के पिता के नाम भी मिसल व कार्यवाही आरम्भ कर दी गई। दोनो मिसलों में समानान्तर कार्यवाही चलती रहीं, जबकि दोनो पट्टो की भूमि आज भी प्रार्थी के कब्जे में है। ग्राम पंचायत ने मृतक दीपाराम की कब्जासुदा आधी भूमि का विक्रय विलेख पुखराज के नाम बना दिया तथा आधी भूमि का विक्रय विलेख दीपाराम के नाम बना दिया। दीपाराम अनपढ व्यक्ति था, जिसे दस्तावेजात की जानकारी नही थी। इसके पश्चात दीपाराम व पुखराज दोनो का देहान्त हो गया। पुखराज के वारिशान द्वारा उक्त फर्जी पट्टे के आधार पर आधी भूमि की मांग करने लगे, तो गांव द्वारा दोनो पट्टो

अति. जिला कलक्टर, पाली

की भूमि की मौका रिपोर्ट बनाकर ग्राम पंचायत के समक्ष पेश की गई, जिस पर ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव संख्या 5 दिनांक 06.06.2011 को प्रस्ताव पारित कर दिनांक 09.06.2011 को ग्राम पंचायत के कोरम द्वारा मौका देखा गया। ग्राम पंचायत ने पुखराज के पट्टे में बताई भूमि तथा दीपाराम के पट्टे में बताई गई भूमि पर भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी का पाया गया। पुखराज को उस समय ग्राम पंचायत ढालोप एवं कोटडी दोनो का चार्ज था तथा इसी दौरान पुखराज ने अपने नाम का पट्टा जारी करवाया है, जो विधि विरूद्ध है। मृतक पुखराज ग्राम पंचायत का सचिव था तथा सचिव को अपने खुद के लाभ के लिये ग्राम पंचायत की कार्यवाही में भाग लेने एवं ऐसे विक्रय विलेख प्राप्त करने का कोई अधिकार नही था, फिर भी लाभ के पद पर तैनात होते हुए भी तमाम कार्यवाहीयों में भाग लिया तथा विधि विरूद्ध रूप से जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में स्वयं के नाम पट्टा जारी करवाया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार करावे एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी पट्टा अपास्त करावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी सम्पूर्ण बहस में जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे की प्रक्रिया के बारे में कुछ भी नही कहा है। अप्रार्थी संख्या 2 पुखराज उस समय ग्राम पंचायत कोटडी का न होकर ग्राम पंचायत ढालोप का ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव था तथा ग्राम पंचायत कोटडी का ग्राम सेवक उस समय रामसिंह था। जैर निगरानी आज्ञा एवं पट्टा वर्ष 1971 में जारी किया गया है तथा लगभग 50 वर्ष पश्चात निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई है, जो मयाद बाहर होने से खारिज योग्य है। माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि जहां परिसीमा प्रावधानित नही हो, वहां पर्याप्त समय में निगरानी प्रस्तुत की जानी चाहिये, जो 1 या 2 वर्ष एवं अधिकतम 6 वर्ष हो सकती है। इसके पश्चात निगरानी पोषणीय नही है। प्रार्थी द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत कोटडी से मिलावट करते हुए फर्जी मौका रिपोर्ट दिनांक 09.06.2011 बनाकर उक्त तथाकथित मौका रिपोर्ट के आधार पर निगरानी याचिका प्रस्तुत की है। ग्राम पंचायत स्वयं अपने पूर्ववर्ती कार्यो के बारे में प्रतिकूल कथन करने से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 144 के तहत विबंधित है। इसके अतिरिक्त जब मौका निरीक्षण किया गया, तब अप्रार्थी संख्या 2 के का0मु0 उपस्थित ही नही थे। प्रार्थीगण जितने क्षैत्रफल की भूमि पर अपना कब्जा एवं पट्टा बता रहे है, उसमे रास्ते की भूमि भी सम्मिलित होती है, इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा रास्ते की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किया गया है, तथा मौका रिपोर्ट एवं पट्टे की भूमि के पडौस का भी मिलान नही होता है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष विधिवत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिस पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए ग्राम पंचायत ने आज्ञा पारित की है तथा भूमि का विक्रय नियमानुसार देय सुकराना राशि प्राप्त कर पट्टा जारी किया गया है, सुकराना राशि से भी स्पष्ट है कि भूमि आपसी बातचीत से विक्रय कर पट्टा जारी किया गया है। सम्पूर्ण प्रक्रिया विधि सम्मत है। अतः निगरानी खारिज करावे। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में आर0एल0आर0 2000 (1) पेज 479, डी0एन0जे0 2008 (2) पेज 735, आर0आर0टी0(सप्ली.) 2011–2012 पेज 46, पेज 221, डी0एन0जे0 (राज) 2002 (1) पेज 307, एस0सी0सी0 2015(3) पेज 695, आर0आर0टी0 2015 (2) पेज 868, एस0सी0सी0 2007 (II) पेज 363, ए0आई0आर0 1983 (एस.सी.) पेज 1239, ए0आई0आर0 1969 (एस.सी.) पेज 1297, ए0आई0आर0 1994 (एस.सी.) पेज 1128,

डी0एन0जे0 (राज.) पेज 592, आर0आर0टी0 2016 (1)पेज 651, आर0आर0टी0 2017 (1) पेज 310, आर0आर0टी0 2017 (1) पेज 73, आर0एल0आर0 2000 (1) पेज 479 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा मिसल संख्या 67/1971–1972 में पारित प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 10.09.1971 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी पट्टा संख्या 37 दिनांक 18.04.1972 के विरूद्ध पेश की गई है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत कोटडी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आबादी भूमि में आपसी बातचीत से पट्टा जारी कराने का निवेदन किया तथा नक्शा शुल्क पेश किया, जिस पर मिसल कायम की जाकर दिनांक 9.07.1971 को पंचायत सचिव को नक्शा तैयार करने एवं तीन पंचो को मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु मनोनीत किया गया। इसके पश्चात दिनांक 23.07.1971 को मिसल बैठक में प्रस्तुत होने एवं मौका रिपोर्ट व नक्शा पेश होने के कारण एक माह का आपत्ति नोटिस प्रकाशित करने के आदेश पारित किये गये। निर्धारित अवधि तक किसी की आपत्ति प्राप्त नही होने पर बैठक दिनांक 30.09.1971 सुकराना राशि 29/–तय की जाकर प्रार्थी को तयसुदा राशि जमा कराने के निर्देश दिये गये। इसके पश्चात दिनांक 13. 05.1972 को पट्टा जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई। हस्तगत निगरानी में प्रार्थी की मुख्य रूप से यह आपत्ति रही है कि जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम पंचायत कोटडी के ग्राम सेवक के पद पर कार्यरत था तथा तो इस सम्बन्ध में जैर निगरानी मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि ग्राम पंचायत की आदेशिका दिनांक 09.07.1971 की पालना में ग्राम सेवक द्वारा नक्शा तैयार किया गया तथा नक्शा बनाने वाले का नाम रामसिंह अंकित है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिस समय जैर निगरानी मिसल कायम होकर उस पर कार्यवाही आरम्भ हुई, उस समय अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम पंचायत कोटडी के ग्राम सेवक के पद पर कार्यरत होना नही पाया जाता है। इस कारण राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 का नियम 47 हस्तगत प्रकरण पर लागू नही होता है। जैर निगरानी पट्टा राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम 1961 के नियम 266 के तहत जारी किया गया है। नियम 266 के अन्तर्गत निजी बातचीत द्वारा आबादी भूमि का हस्तान्तरण के प्रावधान वर्णित है। जिसके उप नियम (घ) के अनुसार जहां किन्ही व्यक्तियों का आबादी भूमि पर कब्जा 20 वर्ष अथवा अधिक परन्तु 40 वर्षो से कम का है, वहां विद्यमान बाजार कीमत का एक तिहाई और जहां कब्जा 40 वर्षो से अधिक का है, वहां विद्यमान बाजार दर का छठा भाग प्रभारित किया जावेगा।" हस्तगत प्रकरण में पंचायत प्रसार अधिकारी, कलेक्ट्रेट, पाली एवं ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा दिनांक 27.09.2013 को मौका जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसका अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि पुखराज को जारी पट्टे की भूमि पर पट्टाधारक का कब्जा नही है तथा कब्जा पूनाराम पुत्र दीपाजी का होना जाहिर किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि जैर निगरानी पट्टे की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 व उसके का0मु0 का कब्जा नही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 सन्दर्भित नियम 266 के तहत पट्टा प्राप्त करने हेतु पात्र ही नही था, इसके बावजूद ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत नही है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा मिसल संख्या 67/1971–1972 में पारित प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 10.09.1971 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी पट्टा संख्या 37 दिनांक 18.04.1972 को खारिज रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत कोटडी का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 23.10.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली